RRSM Ltd., Jaipur/2015	RRSM	Ltd	Jai	pur/2015
------------------------	------	-----	-----	----------

प्रपत्र-ब

## राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

1	3	1	ì	C	7	7		7	9	4	S	2	T	T,	/-	6	1	4	T	Te	4	2		
+	+	+	+	+	•		+	•		•	•	•	•	•	+	+	+	•	•	•	•	+	+	

एपीएल/स्टेट बीपीएल/बीपीएल/अन्त्योदय राशन कार्ड में जारी यूनिटों में संशोधन, पता परिवर्तन एवं डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाये जाने का आवेदन फार्म

1 <b>ਹੁਸ਼ਸਤਾ ਰਿਕਾਸ਼</b> – '*' ਜ਼ਿਵਿਰ ਹ	उन्नामा थ	गता १ रातः	ना से १	वरी जा	ती है।										<u> </u>
1. सामान्य विवरण – '*' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।										1					
राशन कार्ड संख्या (12 डिजिट)															
राशन कार्ड में दर्ज मुखिया का नाम	र्ज मुखिया का नाम														
मुखिया के पिता का नाम		माता का नाम									फोटो आवेदक				
मोबाइल नम्बर	बाइल नम्बर								(मुखिया)						
ई–मेल पता	ई–मेल पता														
राशन कार्ड में दर्ज पता	मकान	मकान नम्बर/मकान का नाम मौहल्ला/कॉलोनी/लें							ोंड म	ार्क/ल	गोकै	लिटी			
*पंचायत समिति :	*ग्राम	पंचायत					*ग्राम/वार्ड सं. :								आवेदक के हस्ताक्षर
(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)	(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)						(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)								
*नगर निगम/नगरपालिका/परिषद :	*नगर	*नगर निगम/नगर परिषद/परिषद का वार्ड नं. :     *जिला :													
(केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)	(केवल श	हरी क्षेत्र हेतु ल	ागू)		*	5	पिन र	नम्बर							
2. मेरा उक्त राशनकार्ड उचित मूल्य दुकान संनाम दुकानदारका था जे															

3. मैं निवास स्थान बदलने के कारण राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तन हेतु आवेदन करता / करती हूँ। कृपया निम्नानुसार मेरे राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तित करें-

राशन कार्ड में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में	मकान नम्बर/मकान का नाम	मौहल्ला/कॉलोनी/लैंड मार्क/लोकैलिटी						
नया पता : '*' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।								
<b>*पंचायत समिति</b> :	*ग्राम पंचायत :	*ग्राम/वार्ड सं. :						
(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)	तागू) (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू) (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)							
*नगर निगम/नगरपालिका/परिषद :	*नगर निगम/नगर परिषद/परिषद का वार्ड नं. :	*जिला :						
(केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)	(केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)	पिन नम्बर						
बिन्दु 3 में जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति/कच्ची बस्ती सर्वे युक्त सम्पत्ति है/मैं किराये के मकान में निवास करता/करती हूँ।								

या राजस्थान राज्य से बाहर निवास करने के कारण समर्पण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता / करती हूँ।

मैं निम्नांकित नामों को सिम्मिलित करने के लिए आवेदन करता / करती हूँ –

क्र. सं.	नाम*	माता का नाम*	पिता का नाम*	जीवन साथी का नाम यदि विवाहित है तो	लिंग* M/F/ Other	जन्म दिनांक*	मुखिया से संबंध*	यूनिक आईडी UID/आधार क्रमांक	विकलांग (हां/ना)	विधवा/ परित्यक्ता (हां/ना)
1.		R	*							2 0
2.								8		
3.			8							2
4.				u u						

नोट – '\*' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर क्रम सं. 4 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ देवें।

5. मैं निम्नांकित नामों को मेरे परिवार राशन कार्ड से घटाने/समर्पण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ-

क्र.	नाम*	लिंग*	मुखिया से	घटाने का कारण	समर्पण प्रमाण-पत्र कहाँ के लिए जारी करना है
सं.		M/F/Other	संबंध*		"
1.					
2.				:	
3.					8
4.					
5.					
6.	е п				

नोट - '\*' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर क्रम सं. 6 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ देवें।

हस्ताक्षर आवेदक

6.	राशन कार्ड की विशिष्टियों की तुटियों में परिवर्धन/संशोधन: — उदाहरणार्थ वर्तनी शुद्धि, पिता/माता का नाम, पता, गैस कनेक्शन सम्ब प्रविष्टियां, उचित मूल्य दुकान विवरण की विशिष्टियां, राशनकार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों के नाम, आयु, जन्म दिनांक व मुखिया से सम्बन् राशनकार्ड में अशुद्धि/वांछित परिवर्धन योग्य विशिष्टि पर आवेदक द्वारा गोला कर सही विशिष्टि स्वयं के हस्ताक्षर से अंकित की जावे तथा मूल	ध में संशोधन करवाने के लिए जारी मूल राशनकार्ड आवेदन फार्म के साथ संलग्न
TT CO	िकया जावे। यदि त्रुटि आवेदक के मूल फार्म में भरी गयी सूचना से मिलान करती है तो आवेदक को परिवर्धन एवं संशोधन के सम्बन्ध में दस्तावे वर्धन/संशोधन का संक्षिप्त विवरण –	ज प्रस्तुत करने होंगे।
	भयम् / सरायम् का साक्षण्या विवरण –	
	घोषणार्ये :-	
	– घोषणा का जो बिन्दु लागू नहीं हो उसे काट देवें।	
(क)	मेरा आयकर विभाग का पेन क्रमांकहै। मेरे राशन कार्ड में ''मैं आयकर दाता हूँ/नहीं हूँ'' अंकित है जिसके स्थान लिखा जावे क्योंकि मैं आयकर दाता हूँ/नहीं हूँ।	(पर
(ख)	मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन नंगैस एजेन्सीडीबीसी/ए	सबीसी अंकित है जिसके स्थान पर गैस
	कनेक्शन नं	या जावे या मेरे पास गैस कनेक्शन नहीं है
(1)	मेरा नाम बीपीएल/स्टेट बीपीएल चयन सूची वर्षक्रमांकवार्डमें/अन्त्योदय सूची	वर्षक्रमांक
	वार्डमें है किन्तु मुझेशेणी का राशन कार्ड जारी कर दिया है अतः राशन कार्ड संलग्न कर निवेदन है कि कार्ड जारी किया जावे।	मुझेश्रेणी का राशन
(ঘ)	इस प्रपत्र के बिन्दु 4 में वर्णित सदस्यों का नाम पहले से किसी भी अन्य प्रचलित राशनकार्ड में नहीं है और ना ही इस हेतु पहले कहीं आवेदन किया लेता है।	गया है। न ही कोई सदस्य सेना से राशन
(ङ)	इस प्रपत्र के बिन्दु 3 में जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति है/मैं किराये के मकान में निवास करता हूँ।	
	इस प्रपत्र के बिन्दु 5 में श्री/श्रीमती/सुश्री	(मृतक से सम्बन्ध) है, इनकी
	मृत्यु के बाद में ही घर में वरिष्ठ सदस्य हूँ, इनके राशन कार्ड में मेरा नाम दर्ज है, अतः इनका नाम विलोपित करते हुए मेरे नाम से परिवार मुखिया के	रूप में परिवर्धित राशन कार्ड जारी करें।
(छ)	इस प्रपत्र के बिन्दु 6 के क्रम में मेरे द्वारा मूल राशन कार्ड में मेरे द्वारा अशुद्धि/वांछित परिवर्धनीय विशिष्टि पर गोला कर शुद्ध वर्तनी/परिवर्धित वि कार्ड में शुद्ध किया जावे।	शिष्टि अंकित की गयी है जिसे मेरे राशन
(ज)	मैं और मेरा परिवार राशन कार्ड का उपयोग राशन वस्तुएं प्राप्त करने के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु नहीं करेगा।	
(耔)	मुझे पता है कि राशनकार्ड सरकार की सम्पत्ति है। इसे जब भी सक्षम अधिकारी प्रस्तुत करने को कहेंगे मैं प्रस्तुत कर दूंगा। तथ्यों की जांच कभी जाने पर मेरा राशनकार्ड निरस्त किया जा सकता है तथा कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।	भी की जा सकती है। गलत सूचना पाये
(স)	इस प्रपत्र के बिन्दु 1 से 7 में दी गई समस्त जानकारी सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।	
	T:	
दिनां	क :	हस्ताक्षर आवेदक
	सत्यापन	evillar olldar
इस प्र	, पत्र के बिन्दु 3 में दिए गए मकान के पते पर श्री/श्रीमती/सुश्रीपुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री	प्राचितान
सहित	त अवधिसे निवास कर रहे हैं। यह मकान मेरी निजी सम्पत्ति है। (बिन्दु 3 लागू होने पर ही सत्यापन कराया जाना	#) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		<sup>२7</sup> हस्ताक्षर मकान मालिक
-	कार्यालय/कियोस्क द्वारा कार्यवाही	हरतावार नकान नालक
	चैक लिस्ट	
क्या	<u>वक लिएट</u> आवेदक द्वारा आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ स्वयं के फोटो सहित मय हस्ताक्षर एवं मकान मालिक के हस्ताक्षर करा कर प्रस्तुत किय	m <del>3</del> 2 → 1 − 13
	न दस्तावेजों का विवरण : (सभी संलग्नक आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित किये जाने आवश्यक हैं)	<b>ग है?</b> हाँ/नहीं
1.	पूर्व राशन कार्ड निरस्तीकरण बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल समर्पण प्रमाण-पत्र।	हाँ/नहीं
2.	निवास बाबत प्रमाण यथा बिजली/पानी बिल, नगर निकाय की गृहकर रसीद, वोटर पहचान पत्र की फोटो प्रति।	हाँ/नहीं हाँ/नहीं
3.	नवविवाहिता का नाम दर्ज कराने हेतु पिता के राशनकार्ड से नाम कम कराने /शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति।	हाँ/नहीं
4.	बच्चे का नाम दर्ज कराने हेतु नगर निगम/नगरपालिका/पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र या बच्चा गोद लेने के सर्टिफिकेट की प्रति।	
5.	डुप्लीकेट राशनकार्ड हेतु पूर्व प्रचलित कार्ड की फोटो प्रति/शपथ पत्र या कटा/फटा/विरूपित राशनकार्ड।	हाँ/नहीं न्यँ/न्यी
6.	मूल राशन कार्ड।	हाँ/नहीं
7.	उम्र में परिवर्तन कराने हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।	हाँ/नहीं नाँ/नहीं
8.	नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र/तलाकनामे की स्वप्रमाणित प्रति/परित्यक्ता का स्वप्रमाणित शपथ-पत्रं।	हाँ/नहीं हाँ/नहीं
9.	नाम में परिवर्तन हेतु प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित शपथ-पत्र अथवा राजकीय मुद्रणालय से जारी गजट की स्वप्रमाणित फोटो प्रति।	हा / नहां हाँ / नहीं
	स्वप्रमाणित शपथ-पत्र।	हा / नहां हाँ / नहीं
	नाम जुड़वाने के लिए समर्पण प्रमाण-पत्र।	हाँ/नहीं हाँ/नहीं
	अन्य	वा/ पठा
	संलग्नकों की कुल पेज संख्या	हस्ताक्षर लिपिक/कियोस्क धारी
		कियोस्क की मोहर
		भवार पर्यापम